

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 690]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 — पौष 8, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक - एफ 1-2/2020/रास/यू.-9. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

1.	श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, कुम्हार पारा जगदलपुर, जिला बस्तर.	-	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति	समिति अध्यक्ष
2.	डॉ. एन.पी. दीक्षित, पूर्व कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	-	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति	समिति सदस्य
3.	प्रो. जे.एस. राजपूत (पूर्व अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली), ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश	-	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति	समिति सदस्य

2. माननीय कुलाधिपति द्वारा श्री अरविंद नेताम को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोहितमा यादव)

राज्यपाल के उप-सचिव.